प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैः-

1. सरकारी कंपनियाँ,
2. सांविधिक निगम, एवं
3. विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है। तथा समय समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

3. सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम जो कि सांविधिक निगम है, के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षको के द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सांविधिक निगम) तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को अलग से प्रेषित किये जाते है।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित है, जो वर्ष 2011-12 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में ध्यान में आये तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आये, परंतु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थी। 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानको के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।